राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

लम्बित मामलों के निस्तारण के लिये एक स्थायी समिति का गठन

जयपुर, 13 जुलाई। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों में लम्बित मामलों की निगरानी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए एक स्थायी तंत्र (समिति) का गठन किया गया है।

उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक श्री संजय झाला ने बताया कि उपभोक्ताओं के सार्वकालिक हितों की रक्षा करने के लिये अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है इस समिति में प्रमुख विधि सचिव या नामिति तथा निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्यगण होंगे। साथ ही समिति में पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को सदस्य सचिव बनाया गया है।

श्री झाला ने बताया कि यह समिति जिला मंचों की ग्रेडिंग कर 15 दिवस में राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी तथा सरकार इन सुझावों पर जिला मंचों/सर्किट बैंचों की त्रैमासिक ग्रेडिंग कर सकेगी। साथ ही यह समिति तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज सकेगी।